न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

अपील संख्या 18 सन् 2022 — निर्णय दिनांक 09.02.2022

राजेन्द्र सिंह कल्याण पुत्र रामकुमार सिंह कल्याण वी. बिशनपुरा पो. शेखसर तह. मलसीसर जिला झुंझुनूं
– प्रार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार चूरू
– अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम -- 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 05.04.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चूरू जिला चूरू को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की तल्बी जारी पत्र क्रमांक रीडर/अपील/आर.टी.आई./2022/908–909 द्वारा की गई।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, चूरू से दिनांक 07.02.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा गांव देपालसर तहसील चूरू की रोही में स्थित ख.नं. 552/299, 553/299, 554/299 में गोदनामा के जरिये जो मनोज कुमार के नाम का इंतकाल दर्ज हुआ है में जो गोदनामा काम में लिया गया है कि प्रमाणित प्रति चाही गई है। मनोज कुमार के नाम नामान्तरणकरण विक्रय–पत्र के जरिये दर्ज हुआ है। यदि कोई गोदनामा मनोज कुमार के पक्ष में पंजीबद्ध भी हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि चाही गई सूचना उपपंजीयक कार्यालय से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन को अधिनियम की धारा 6 में उपपंजीयक को अंतरित किया जाना चाहिए था। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधिनियम की धारा 6(1) में उपपंजीयक को अंतरित करते हुए आवेदक को सूचित करें। जिससे आवेदक को अविलंब सूचना उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू